भारतीय महिलाएंः आर्थिक समता की खोज

डॉ0 सत्या मिश्रा
एसोशिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग,
नारी शिक्षा निकेतन (पी.जी.) कॉलेज, लखनऊ।

शोध–सार

भारतीय समाज की संरचना पितृसत्तात्मक है। अतः लगभग समूचे भारत में गहन लैंगिक असमानतायें विद्यमान हैं। यद्यपि गारो, खासी और नायर समुदाय इसके अपवाद हैं, जोकि मातृसत्तात्मक एंव मातृवंशीय समुदाय हैं। महिलाओं को परिवार एंव समाज; दोनों स्तरों पर सामाजिक – सांस्कृतिक, आर्थिक एंव राजनीतिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। परम्परागत रूप से स्त्रियों को सम्पति के अधिकार से वंचित रखा गया है। जो महिलायें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं, उनकी प्रस्थिति अत्यंत निम्न है। समाज के पितृसत्तात्मक स्वरूप एंव लिंग आधारित भेदभाव ने महिलाओं की समाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिशीलता को बाधित किया है। स्त्रियाँ दोयम दर्जे का, चुनौतीपूर्ण जीवन जीने हेतु बाध्य हैं। प्रस्तुत शोध प्रपत्र में महिलाओं के आर्थिक अधिकारों एंव परिवार के भीतर तथा सामाजिक – सांस्कृतिक असमानता के विविध आयामों का वस्तुपरक विश्लेषण किया गया है। वर्तमान समय में महिलायें पूर्ण रूपेण आर्थिक अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाई हैं और स्थिति विभ्रम एंव द्वन्द की बनी हुई है।

मुख्य शब्द– *सम्पत्ति का अधिकार, घरेलू हिंसा, लैंगिक असमानता, पितृसत्ता, मातृसत्ता, लैंगिक अनुपात, सामाजिक विधान, सतत् विकास लक्ष्य।*

विश्लेषण

किसी भी देश की राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अतः आधी आबादी का विकास सम्पूर्ण विकास की गति को निर्धारित करता है। वर्ष 2011 की जनगणना जो कि भारत की 15 वीं जनगणना है, के अनुसार भारत में महिलाओं की संख्या, कुल जनसंख्या का 48.53%है (भारत, 2021)तथापि परम्परागत रूप से महिलाओं की प्रस्थिति हीन रही है। उन्हें अधिकारों, विशेषाधिकारों, निर्णय लेने एंव शक्ति संरचना से बाहर रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबधित 'सतत् विकास लक्ष्य'(SDG)निर्धारित किये गये हैं। जिसके अंतर्गत 2030 तक 17 लक्ष्य प्राप्त करने है। इन 17 लक्ष्यों में से 5 वाँ लक्ष्य है–लैंगिक समानता प्राप्त करना, सभी महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाना।

SDG 5 में नौ लक्ष्य हैं, एंव चौदह संकेतक हैं। ये छः लक्ष्य परिणाम उन्मुखी हैं, जो कि बिंदुवार निम्न हैं–

1. महिलाओं के प्रति प्रत्येक क्षेत्र में होने वाले भेदभाव को समाप्त करना।
2. महिलाओं और बालिकाओं के प्रति हिंसा एंव शोषण को समाप्त करना।
3. बच्चे, जल्दी और जबरन विवाह तथा महिला जननांग विकृति जैसी हानिप्रद प्रथाओं को समाप्त करना।
4. अवैतनिक देखभाल का मूल्य बढ़ाना और साझा घरेलू जिम्मेदारियों को बढ़ावा देना।
5. नेतृत्व एंव निर्णय लेने में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना।
6. महिलाओं की सार्वभौम प्रजनन अधिकारों तथा स्वास्थ्य तक पहुंच सुनिश्चित करना।

इसके अतिरिक्त सतत् विकास लक्ष्य महिलाओं के लिए आर्थिक संसाधनों सम्पत्ति के स्वामित्व और वित्तीय सेवाओं के समान अधिकारों को बढ़ावा देने (लक्ष्य 5.ए), महिलाओं को प्रद्यौगिकी के माध्यम से सशक्त बनाने (लक्ष्य 5.सी) नीतियों को अपनाने, सुदृढ़ करने तथा लैंगिक समानता

हेतु कानून बनाने हेतु लक्ष्य एंव प्रतिबद्धता निर्धारित करता है (लक्ष्य 5.सी)।

''किसी को पीछे न छोड़े'' के मूल भाव के साथ एस.डी.जी 5 के उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को समान अधिकार, भेदभाव, हिंसा से मुक्त रखने का प्रयत्न करते हैं (विकीपीडिया)। सामाजिक न्याय और समानता के मूल भाव से प्रेरित भारतीय संविधान के तीसरे भाग में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद–12 से लेकर अनुच्छेद–35 तक विस्तृत हैं। न केवल मूल अधिकार, सामाजिक न्याय एंव समानता के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करते हैं, बल्कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक, आर्थिक एंव राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता का लक्ष्य निर्दिष्ट किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 39 में नीति निदेशक तत्वों के अन्तर्गत महिलाओं की आर्थिक समानता एंव न्याय हेतु राज्य को निर्देशित किया गया है (कश्यप सुभाष, पृ0सं0 327–340)।तथापि परम्परागत रूप से भारतीय समाज का पितृसत्तावाद पुरूष के प्रभुत्व एंव स्त्री की अधीनता को मान्यता देता है। फलतः पुरूष एंव स्त्री की प्रस्थिति एंव भूमिकाओं में भी अंतर पाया जाता है। स्त्री को हीन एंव कमतर तथा पुरूष को श्रेष्ठ माना जाता है। स्त्री को कुछ ऐसे अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है, जो एकांतिक रूप से पुरूषों के माने जाते हैं। अधीनता की यह विचारधारा लगभग सम्पूर्ण भारतीय समाज की विश्वदृष्टि एंव लोकाचार में प्रवेश कर गई है। एस. सी. दुबे ने अपनी पुस्तक 'भारतीय समाज' में ऐसे क्षेत्रों की पहचान एंव व्याख्या की है, जहां स्त्रियों पर नियंत्रण रखा जाता है – प्रथम, यौन संबंध जोकि पुरूषों की अपेक्षा अधिक कठोरता पूर्वक नियंत्रित होते हैं। द्वितीय, स्त्रियों के सामाजिक संपर्को पर नियंत्रण। तृतीय, स्त्री के संसाधनों अर्थात श्रम और कौशल के लिए विनियमन एंव नियंत्रण।महिलायें अपनी अर्जित सम्पत्ति एंव स्त्रीधन का प्रयोग भी स्वेच्छा से नहीं कर पाती वरन् इस धन का उपयोग परिवार की साझी परियोजनाओं को सहारा देने अथवा पारिवारिक संकट से पार पाने में करती हैं। मातृवंशीय समुदायों में यद्यपि वंश परम्परा का मूल स्त्री के माध्यम से खोजा जाता है। परन्तु राजनीतिक सत्ता सामान्यतः पुरूष में निहित होती है। भूमि व सम्पत्ति का उत्तराधिकार स्त्री की परंपरा में रहता है लेकिन उसकी देखभाल, प्रबंधन अधिकांशतः पुरूष करते हैं। इन समुदायों में स्त्रियां आर्थिक भूमिकाओं का निष्पादन करती हैं यथा खासी स्त्रियां दुकान चलाती हैं व स्थानीय व्यापार से जुड़ी होती हैं। नायरों की तारवाड़ सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी एंव स्वामी स्त्रियां होती थी। लेकिन उसकी देखभाल 'कार्नवार' (प्रंबधक) करता था जोकि पुरूष होता था(मामा, भाई अथवा नानी का भाई)। नये कानूनों ने मातृवंशीय समुदायों में परिवर्तन उत्पन्न किया है। परन्तु स्त्रियों के सम्मान एंव प्रस्थिति संबंधी पंरपरागत प्रतिमान बने हुए है (दुबे, एस.सी., पृ0सं0–97–106)।

परंपरागत परिवार व्यवस्था, संयुक्त परिवार में भी महिलाओं के अधिकार सीमित होते हैं। संयुक्त परिवार में पितृ पक्ष से सम्बन्धित पुरूषों का एक समूह होता है जिन्हें सम्पत्ति, संयुक्त खर्चों में हिस्सेदारी, आवास तथा रसोई में समान अधिकार प्राप्त होता है। पारिवारिक ढांचे में महिलायें कठोर प्रतिबन्धों के अधीन होती हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका नहीं के बराबर होती है, परिवार में उनकी स्थिति, उनके द्वारा दहेज में लाये गये धन व पारिवारिकअर्थव्यवस्था में उसके पति के योगदान पर निर्भर करती है (हसनैन, नदीम, पृ0–427)। महिलाओं के आर्थिक अधिकारों में आ रहे परिवर्तनों का विश्लेषण अनेक समाजशास्त्रियों ने किया है। विगत तीन या चार दशकों में काफी संख्या में विधान लागू किये गये हैं, एंव कुछ विधानों में संशोधन किया गया है, जिनमें महिलाओं के समान स्तर एंव अवसरों को सुनिश्चित किया गया है। आर्थिक विधानों से संबधित विषय हैंः सम्पत्ति का अधिकार, समान पारिश्रमिक, कार्य करने की दशाएं, प्रसूति लाभ, कार्य सुरक्षा इत्यादि(आहूजा,राम,पृ0–99)।

राम आहूजा ने स्त्रियों में आर्थिक अधिकारों की चेतना का अध्ययन किया है। और राजस्थान के एक जिले के एक गांव की 18–50 आयु वर्ग की 753 स्त्रियों का अध्ययन किया है और यह पाया कि यद्यपि बहुत कम महिलाओं को अपने पिता की सम्पत्ति में से भाग लेने के अधिकार का ज्ञान है, किन्तु अपने पति की सम्पत्ति में से अपने अधिकार का ज्ञान 80% महिलाओं को है। एक तिहाई महिलाओं को अपने पति की सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त होता है किंतु पिता की सम्पत्ति में भाग प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या नगण्य(0.5%) है। गांवों में दस में से केवल एक महिला कामकाजी व आर्थिक दृष्टि से स्वंतत्र है। कामकाजी महिलायें भी गृहकार्य तथा गृहस्थी निर्माता के रूप में अपनी भूमिका का मूल्यांकन उतनी ही सापेक्षता से करती हैं जितनी की घरेलू महिलायें। कामकाजी महिलाओं में दस में से नौ अपनी आय से अंसतुष्ट होती हैं। यह असंतोष कार्य के विचार से उतना नहीं होता जितना कि कार्य दशाओं या पारिश्रमिक से। जो महिलायें अपने परिवार की अर्थव्यवस्था में योगदान करती हैं वे अपनी आय को अपनी इच्छा से व्यय करने हेतु स्वतंत्र नहीं होती।(आहूजा,राम, पृष्ठ 99–100)।

महिलाओं के आर्थिक अधिकारों के उपचारों हेतु कार्य योजना भी अकादमिक एवं नीतिगत स्तर पर निर्मित की गई है। शिक्षण एंव व्यावसायिक प्रशिक्षण उन्हें कुशल एंव आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनायेंगे, जिससे उनका तनाव कम होगा, परम्परागत आदर्शों में परिवर्तन आयेगा, अधिकारों व मांगों के प्रति चेतना बढ़ेगी। संस्थागत स्तर पर महिलाओं के आर्थिक सरलीकरण हेतु अनेक योजनायें व कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। यथा– बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ(2015), महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना (2017), स्वाधार गृह, कामकाजी महिला छात्रावास योजना, लिंग संबधी बजट बनाने की पहल(2007), भारत की महिला उद्यमियों की प्रदर्शनी/महोत्सव (2014), महिला ई–हाट (2016), राष्ट्रीय महिला नीति(2016), उज्जवला योजना(2016), निर्भया कोष (2013) इत्यादि।

आज़ादी के 75 वर्ष के उपरान्त भी महिलायें कमजोर वर्ग के रूप में जानी जाती है। महिलाओं की असुरक्षा व उनके प्रति असमानता का परिलक्षण उनके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, जनांकि्कीय, स्वास्थ्य एंव पोषण सभी स्तरों पर होता है। महिलाओं के प्रति असम्मान उनके विरूद्ध बढ़ती हुई हिंसा में प्रकर होता है। तथापि बढ़ती हुई चेतना, शिक्षा, आधुनिकीकरण तथा महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण ने उनकी प्रस्थिति में ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता का संचार किया है। सरकार की कल्याणकारी नीतियों का भी सकारात्मक प्रभाव आया है, तथापि उनके प्रभावों का अध्ययन अभी बाकी है।

संदर्भ सूची

1. दुबे एस.सी. (अनु. वंदना मिश्र) (2001), भारतीय समाज, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, ए–5 ग्रीन पार्क, नई दिल्ली।

2. हसनैन, नदीम, (2004) समकालीन भारतीय समाज एक समाजशास्त्रीय परिदृश्य, भारत बुक सेंटर, 17 अशोक मार्ग, लखनऊ।

3. भारतीय जनगणना, 2011 के संशोधित व वास्तविक आँकड़े, 7 जनवरी,2014।

4. कश्यप, सुभाष, (1997), भारत का सांविधानिक विकास और संविधान, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।

6. आहूजा, राम (1992) राइट्स ऑफ वीमेनः अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर।

7. आहूजा, राम (1995) भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर।

8. भारत 2011, सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।